

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 322/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 05.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-तहबरपुर:-चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 05.04.2025 को श्री संजय यादव पुत्र बलिराम यादव ग्राम मंझारी पोस्ट खलिया सेमरी थाना तहबरपुर, तहसील- निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा आनलाइन प्रार्थना दिया गया कि दिनांक 13.03.2025 को रात्रि में ग्राम आतापुर स्थित श्रीराम ईट भट्टे की पथेरी पर एक पल्सर मोटर साइकिल जिसका नं0 UP50BR2377 की चोरी के सम्बन्ध में दिया गया था। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 192/2025 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 05.09.2025 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल मय हमराह कर्मचारीगण के कार्यसरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन से थाना तहबरपुर आ रहे थे तो जब हम लोग रमनीपुर अण्डर पास के समीप पहुंचे तो सामने की तरफ से एक मोटर साइकिल स्प्लेन्डर प्लस रंग काला तथा नं0 प्लेट पर UP50CZ8283 को 02 व्यक्ति पैदल ही लेकर आ रहे थे शंका होने पर की कही मोटर साइकिल किसी अपराध से सम्बन्धित तो नहीं है नजदीक पहुंचने पर जब दोनों व्यक्तियों को रूकने के लिये टोका गया तो वह दोनों व्यक्ति सकपका कर भागना चाहे तो तत्परता दिखाते हमराही कर्मचारीगणों के सहयोग से दोनों व्यक्तियों को मोटर साइकिल के साथ मौके पर ही पकड़ लिया गया अभियुक्तगणों 1. अनिल चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी उम्र 33 वर्ष निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2. चंदन चौहान पुत्र रमेश चौहान उम्र 29 वर्ष निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को उनके अपराध धारा 317(2), 318(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 75/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ से अवगत करा कर नियमानुसार समय 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद चोरी की मोटर साइकिल व चोरी के मोटर साइकिल की बिक्री का पैसा कब्जा पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. अनिल चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी उम्र 33 वर्ष निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. चंदन चौहान पुत्र रमेश चौहान उम्र 29 वर्ष निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 303(3), 317(2) भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 198/205 धारा 317(2), 318(4) थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

अनिल चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी उम्र 33 वर्ष निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 684/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 568/2024 धारा 303(2)/317(2) थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 95/2025 धारा 305/351(3)/352/317(2) थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 333/2025 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

चंदन चौहान पुत्र रमेश चौहान उम्र 29 वर्ष निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

1. 519/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. 113/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. 600/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

मोटर साइकिल स्प्लेन्डर प्लस रंग काला तथा नं0 प्लेट पर UP50CZ8283 अंकित है तथा चेचिस नं0 MBLHAW129LHJ28844 इंजन नं0 HA11EYLHJ28741 वास्तविक नं0 UP50BW8944 है व 2100 रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1 उ0नि0 श्री उमाकान्त शुक्ल थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 प्रशान्त कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

3. का0 प्रदीप कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना-गंभीरपुर:-फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमीन बैनामा करने वाला पूर्व प्रधान गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री शिवनरायन पुत्र बट्टी सिंह साकिन अंबरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत वादी मुकदमा के चचेरे भाई रमेश पुत्र जुगनू के नाम से ग्राम अंबरपुर में आराजी नंबर 1237 रकबा 402 हे0 दर्ज होने व रमेश का वर्ष 1975 से लापता हो जाने को उपरान्त रमेश की चल अचल सम्पत्ति का वारिस वादी मुकदमा व उसका भाई पलक धारी व गिरधारी का होना । उक्त आराजी नं0 को विपक्षी प्रभाकर तिवारी व गवाह सुभाष, प्रीतम द्वारा रमेश का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर जमीन का बैनामा करवा लेने के सम्बंध में दाखिल किये । जिके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-412/2024 धारा- 419/420/467/468/471/506 भा0द0वि0 बनाम 1.प्रभाकर तिवारी पुत्र रामसकल तिवारी निवासी कयामुद्दीन पट्टी उर्फ परसहां पोस्ट बडरिया जनपद आजमगढ़ 2. सुभाष पुत्र अज्ञात 3. प्रीतम पुत्र अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण लगातार वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05.09.2025 को उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप मय हमराह सुरेश यादव ,का0 नितेश कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2024 धारा 419/420/467/468/471/506 भा0द0वि0 में वांछित पूर्व प्रधान प्रभाकर तिवारी पुत्र रामसकल तिवारी निवासी कयामुद्दीन पट्टी उर्फ परसहां पोस्ट बडरिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को मुखबिरी सूचना पर समय 13.45 बजे कयामुद्दीन पट्टी उर्फ परसहां गम्भीरपुर से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी अभियुक्त का नाम-

प्रभाकर तिवारी पुत्र रामसकल तिवारी निवासी कयामुद्दीन पट्टी उर्फ परसहां पोस्ट बडरिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 412/2024 धारा 419/420/467/468/471/506 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:—

प्रभाकर तिवारी पुत्र रामसकल तिवारी निवासी कयामुद्दीन पट्टी उर्फ परसहां पोस्ट बडरिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	412/2024	419/420/467/468/471/506 भा0द0वि0	गंभीरपुर	आजमगढ़
2.	117/2019	147/149/427/504/506/511/120बी भा0द0वि0	निजामाबाद	आजमगढ़
3.	157/2015	147/323/504/506 भा0द0वि0	रानी की सराय	आजमगढ़
4.	243/2013	110 सीआरपीसी	निजामाबाद	आजमगढ़
5.	1208/2010	302 भा0द0वि0 व 25/27 आर्म्स एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश कश्यप थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. कां0 सुरेश यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
3. कां0 नितेश कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।



थाना - रौनापार-आजमगढ़

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 25.08.25 को वादिनी द्वारा तहरीर दिया गया कि समय करीब 12.00 बजे दिन में उसकी पुत्री को प्रतिवादी अमन कुमार पुत्र स्व० मन्टू राम निवासी गड़कौसिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 319/25 धारा 137(2),87 बीएनएस बनाम अमन कुमार पुत्र स्व० मन्टू राम निवासी गड़कौसिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी व बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढोतरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05.9.2025 को मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्त अमन कुमार पुत्र स्व० मन्टू राम निवासी गड़कौसिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष को ग्राम **बघावर तिराहा थाना रौनापार** से समय करीब **08.45 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 319/25 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमन कुमार पुत्र स्व० मन्टू राम निवासी गड़कौसिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० सुमित सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का० विनय प्रताप सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का० नागेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का० नितेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



04.थाना-पवई:-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 05.09.25 को उ0नि0 शिव कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 संतोष यादव, का0 अशफाक अंसारी, के साथ देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त अशोक सिंह पुत्र रूद्रप्रताप सिंह ग्राम इब्राहिमपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को महुवा मोड़ से समय 04.02 बजे 01 अदद नाजायज कट्टा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 247/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 247/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

अशोक सिंह पुत्र रूद्रप्रताप सिंह ग्राम इब्राहिमपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01.उ0नि0 शिवकुमार यादव

02.उ0नि0 संतोष कुमार यादव

03.का0 अशफाक अंसारी



05.थाना-जहानागंज:-चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 22.08.2025 को डाक पैड से प्राप्त प्रार्थना पत्र आवेदक श्री रामनवल सिंह पुत्र स्व० केदार सिंह ग्राम-भुजही, थाना-जहानागंज, जिला-आजमगढ़ के बावत दिनांक 16.08.2025 को रात्रि में आरोपीगण द्वारा वादी मुकदमा के खेत से दो हार्स पावर को मोटर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-261/2025 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता बनाम 1. लालजी यादव (छोटक) पुत्र निफिकीर यादव 2. घुराभारी यादव पुत्र बल्लू यादव नि0गण भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़ व दो अज्ञात लोग के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05/09/2025 को उ0नि0 हेमन्त कुमार यादव मय हमराह के साथ भुजही पुलिस पर मौजूद रहकर रात्रि में होने वाले अपराध, मोटर चोरी एवं उसके अपराधियों के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि मुखविर खास ने सूचना दिया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चिरैयाकोट के तरफ जाने वाले नहर मार्ग पर मौजूद है। सूचना पर विश्वास कर समस्त हमराहीगण को अवगत कराते हुए चिरैयाकोट के तरफ बढ़े ही थे कि कुछ दूरी जाने के बाद सड़क के किनारे दो साइकिल खड़ी दिखाई दी जिसके पास दो व्यक्ति खड़े आपस में बात कर रहे थे कि हम पुलिस बल के लोग दबे पांव मौके पर पहुंचकर फिर तेजी से दौड़कर दोनो को समय करीब 3.30 बजे पकड़ लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-261/2025 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास-

निरंजन राजभर S/0 बादू राजभर R/O टाड़ी थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

मु0अ0सं0-127/2025 धारा 115(2), 324(4), 333, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता 2023

राजेश कुमार S/0 स्व0 शम्भू R/O मोहबल्लीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

मु0अ0सं0-160/2025 धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी:-

बरामदगी 01 अदद रिंच,01 अदद रबर डोरी, 01 अदद सुती बोरा व रू 750 व 02 अदद साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 हेमन्त कुमार यादव, थाना जहानागंज आजमगढ़

02. हे0का0 प्रेमशंकर चौहान, थाना जहानागंज आजमगढ़

03. का0 हरेन्द्र सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

